कृषक उत्पादक सहकारी संस्थाओं हेतु आदर्श उपविधियाँ

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐ
मध्यप्रदेश

कृषक उत्पादक सहकारी संस्थाओं की उपविधियाँ

उपविधि क्रमांक–(1) नाम, पंजीकृत पता एवं कार्यक्षेत्र :

1.1. कृषक उत्पादक सहकारी संस्था का नाम :–.....

.....

1.2. पंजीकृत पता :–.....

.....

नोट:– संस्था के पंजीकृत पतें में किसी भी प्रकार से परिवर्तन होने पर संस्था द्वारा इसकी सूचना पंजीयक, प्रत्येक सदस्य एवं उस संस्था को जिसकी वह सदस्य है, को 30 दिन के अन्दर डाक द्वारा दी जावेगी।

1.3. कार्यक्षेत्र :–.....

(क्लस्टर/संकुल आधारित जिसका निर्धारण संबंधित/शासकीय विभाग एवं एजेंसी व्दारा होगा)

उपविधि क्रमांक–(2) परिभाषाएँ :

1. **"अधिनियम" से आशय है**–"मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960" से है।
2. **"नियम" से आशय है** –"मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962" से है।
3. **"सहकारी वर्ष" से आशय है** –"प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष" से है।
4. **"उपविधियों" से आशय है** –"अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत पंजीयक द्वारा मान्य की हुई उप विधियों" से है, जिसे पंजीयक द्वारा पंजीकृत किया गया है।
5. **"पंजीयक" से आशय है** –"सहकारी अधिनियम की धारा–3 के अधीन नियुक्त अधिकारी"से है।
6. **"लाभांश" से आशय है** –"संस्था की आमसभा द्वारा लाभ–विभाजन में सदस्यों को उनके द्वारा धारित अंशों के मूल्य के अंशो के अनुपात में घोषित राशि जो सदस्यों को प्रदान की जावें।
7. **"सदस्य" से आशय है** – सदस्य से आशय है पंजीयन के समय बने प्रर्वतक सदस्य तथा उसके पश्चात् उपविधि की पात्रतानुसार संचालक मण्डल द्वारा स्वीकार किए गए सदस्य।
8. **"लिमिटेड रिटर्न" से आशय है** अधिनियम एवं उपनियम में वर्णित सदस्यों को दिए जाने वाला अधिकतम लाभांश।
9. **"संरक्षण सेवाऐं" (Pateronage Services) से आशय है** ऐसी सेवाओं का उपयोग जो संस्था अपने सदस्यों को उनकी व्यवसायिक गतिविधियों के उपयोग के लिए प्रदान करें।

10. **"संरक्षण बोनस" (Pateronage Bonus) से आशय है** ऐसी सेवाए या लाभ जो संस्था अपने सदस्यों के द्वारा की जाने वाली सेवाओं के बदले अपने (सरप्लस) अधिक्य आय में से उनके द्वारा ली/दी गई पेट्रानेज सर्विस/अंश के अनुपात में प्रदान करें।
11. **"उत्पादक" से आशय है** ऐसा कोई व्यक्ति जो कृषि व्यवसाय का उत्पादक हो या उससे संबंधित उत्पादन से संबंधित हो।
12. **"उत्पादक संस्था" से आशय है** ऐसी संस्था जिसमें उत्पादक या अनेक उत्पादक या अन्य उत्पादक सदस्य के रूप में इस संस्था द्वारा अपने उपनियमों में दी जा रही कृषि एवं उसके सहायक व्यवसाय की सेवाओं की प्राप्ति हेतु सहमत है।
13. **"स्थगित मूल्य" से आशय है** कि सदस्यों द्वारा संस्था को प्रदाय वस्तुओं का वह मूल्य या मूल्य का भाग जो उन्हें प्रथमतः देय या भुगतान योग्य है। कृषक उत्पादक संस्था द्वारा उस मूल्य का भुगतान निर्धारित समय के लिए रोक दिया जाए।
14. **"बोनस शेयर" से आशय** ऐसे अंश से है जो सदस्यों को उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं, उत्पादन के बदले संस्था को होने वाली अतिरिक्त आय से प्रदान किए जाने या लाभांश के एवज में दिए जाने वाले अंश से है। बोनस की राशि भुगतान न कर उसके बदले सदस्य/अंशधारक को उतनी राशि के शेयर आवंटित कर दिए जाए ताकि सदस्य की अंश धारण क्षमता व भविष्य में उसकी बोनस राशि में वृद्धि हो सकें।
15. **"अध्यक्ष" से आशय है** – संस्था के अधिनियमों/नियमों/उपविधियों अनुसार नामांकित/निर्वाचित अध्यक्ष/सभापति या चेयरमेन" से है।
16. **"अधिकारी" से आशय है** – कोई संचालक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी या कोई व्यक्ति जिसके द्वारा उत्पादक संस्था के व्यवसाय संचालन हेतु निर्देश जारी एवं मान्य किए जाए।
17. **"कार्यक्षेत्र" से आशय है – उपविधि क्र. 1.3** अनुसार "वह क्षेत्र जहां से सदस्यता ली जा सकती है" से है।
18. **"समिति" से आशय है** – "धारा–48 के अधीन" गठित किया गया संचालक मण्डल, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारी जाती हो" से है।
19. **"संस्था" से आशय है** – "उपविधि क्र. 1 में वर्णित संस्था से है।
20. **"एफ.पी.ओ" का आशय है**– एफ.पी.ओ अर्थात् ऐसा कृषक उत्पादक सदस्यों का संगठन जो किसी भी विधि के अन्तर्गत पंजीकृत है।
21. **"शासन" से आशय है** – "भारत सरकार" एवं "मध्यप्रदेश शासन" से है।
22. **"उपज कलस्टर क्षेत्र" से आशय है:** एक भौगोलिक क्षेत्र जिसमें कृषि और संबद्ध उत्पादन जैसे कि समान या लगभग समान प्रकृति के कृषि एवं सहायक उत्पादों का उत्पादन/खेती की जाती है।
23. **"सी.बी.बी.ओ" (Cluster Based Business Organization)** – से आशय है कि भारत सरकार द्वारा गठित कार्यान्वयक एजेंसियां, कृषक उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य/कलस्टर स्तर पर कलस्टर आधारित व्यवसायिक संगठन।
24. **"एन.पी.एम.ए" (National Project Management Agency)** – से आशय है कि भारत सरकार द्वारा गठित ऐजेन्सी जो राष्ट्रीय स्तर पर समग्र परियोजना

का मागदर्शन प्रदान करेगी व एकीकृत पोर्टल व सूचना प्रबंधन के माध्यम से डाटा अनुश्रवण करने के लिए कार्य करेगी।

25. **"सरप्लास इन्कम या आधिक्य आय"** से आशय है आमसभा द्वारा संस्था के वर्ष के लाभ का विभाजन के बाद शेष लाभ से है।
26. **"कार्यान्वयन एजेंसी"** से आशय है कि भारत सरकार द्वारा गठित संस्था को समान एवं प्रभावी रूप से बढ़ावा देने के लिए एजेंसी जिसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) एवं नाबार्ड एवं एस.एफ.ए.सी. (लघु कृषक एग्री–बिजनेस कन्सोर्टियम) चिन्हित है।
27. **"इक्वटी ग्रान्ट"** से आशय है कि – एक मेचिंग इक्विटी अनुदान जो प्रवर्तक निर्माता सदस्यों की अपनी इक्विटी के अनुपात में प्राप्त होगी जो कि एफपीओ के वित्तीय आधार को मजबूत करने और उन्हें अपनी परियोजनाओं के लिए वित्तीय स्थानों से केडिट प्राप्त करने और व्यापार विकास के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए।
28. **"ऋण गारन्टी कोष"** से आशय है कि भारत सरकार द्वारा गठित ऋण गारन्टी कोष जो पात्र ऋण दाता संस्थानों द्वारा पात्र एफ.पी.ओ को संपार्श्विक मुक्त ऋण देने के लिए गठित क्रेडिट गारंटी कोष।
29. **"एन–पी.एम.एफ.एस.सी" (National Project Management Advisory & Fund Sanctioning Committee)** से आशय है कि भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्र स्तरीय परियोजना प्रबंध सलाहकार एवं निधि स्वीकृति समिति से है यह कियान्वयन के लिए एजेंसियों से सामन्जस्य पूर्ण समन्वय कर गतिविधियों और योजनाओं के बेहतर परिणाम के लिए नीति, दिशा निर्देश तय करने के लिए गठित समिति।
30. **"एस.एल.एम.सी" (State Level Monitoring Committee)** से आशय है कि भारत सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति से हे जो राज्य स्तर पर एफपीओ के विकास एवं संवर्धन के संबंध में आने वाली बाधाओं एवं कार्यो की अवधि समीक्षा करने हेतु गठित समिति से है।
31. **"डी.एल.एम.सी" (District Level Monitoring Committee)** से आशय है कि भारत सरकार द्वारा गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति जो जिला स्तर पर स्कीम की निगरानी तथा हितधारकों के बीच प्रभावित समन्वय का कार्य करने हेतु गठित समिति।
32. **"प्राथमिक उत्पाद"** से आशय है कि कृषि से उत्पन्न होने वाले कृषकों का उत्पादन, पशुपालन, बागवानी, फ्लोरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, वानिकी, समाजिक वानिकी, मधुमक्खी पालन, खेती या अन्य प्राथमिक गतिविधि या सेवा से जो कृषकों या कृषकों के हितों को बढ़ावा देता है।

उपविधि क्रमांक–(3) सद्देश्य :– कृषक उत्पादक सहकारी संस्था के उद्देश्य निम्नानुसार होगें–

(1) जीवंत और स्थायी आय उन्मुख खेती और समग्र सामाजिक – आर्थिक विकास और कृषि समुदायों की भलाई हेतु सर्वांगीण और व्यापक आधारित सहायक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना।

(2) कुशल, लागत प्रभावी और स्थायी संसाधान उपयोग के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करना और अपनी उपज के लिए बेहतर लिक्विडिटी और बाजार लिंकेज के माध्यम से उच्च लाभ प्राप्त करना और सामूहिक कार्य के माध्यम से स्थायी बनाना।

संस्था अपने विकास के लिए यथावश्यक निम्नलिखित प्रासंगिक प्रमुख सेवाओं और गतिविधियों को प्रदान कर शुरू कर सकता है :—

1. यथोचित रूप से सदस्यों के लिए थोक दरों पर गुणवत्ता उत्पादन इनपुट की आपूर्ति करना।
2. कृषि उत्पादन की खरीद, ऐसाइनिंग (प्रयोगशाला), ग्रेडिंग, पुलिंग, हार्वेस्टिंग, हैंडलिंग, विपणन, विक्रय, सदस्यों के प्राथमिक उत्पादन का निर्यात या लाभ प्रदान करने के लिए माल या सेवाओं के आयात, कृषक सहकारी संस्था किसी भी गतिविधि को स्वयं या अन्य संस्थानों के माध्यम से कर सकती है।
3. प्रसंस्करण जिसमें सदस्यों के उत्पादों को संरक्षण, सुखाने, डिस्टीलरिंग, विन्टिंग, कैनिंग, पैकेजिंग आदि की जाए।
4. उपरोक्त कार्यों से संबंद्ध सदस्यों को मशीनरी उपकरण या उपभोग वस्तुओं की बिक्री या आपूर्ति/निर्माण/मरम्मत अपने सदस्यों और अन्य लोगों को शैक्षणिक ज्ञान, प्रशिक्षण व पारस्परिक सहयोग हेतु कार्य करें।
5. सदस्यों को तकनीकी ज्ञान, परामर्श सेवाऐं, प्रशिक्षण, शोध और सभी प्रकार के ज्ञान प्रदाय जिसमें सदस्यों का हित संवर्धन हो सकें।
6. उत्पादन, संचार और शक्तियों के विकेन्द्रीकरण भूमि और जल का उपयोग तथा संरक्षण प्रदाय करना।
7. उत्पादकों और उनके उत्पादों का बीमा, जीवन बीमा, सामान्य एवं कृषि बीमा, पारस्परिक सहयोग एवं तकनीकों के पारस्परिक आदान–प्रदान के लिए व अन्य कल्याणकारी, सामाजिक, सांस्कृतिक लाभ जो संचालक मण्डल निर्धारित करें।
8. उपार्जन के लिए सुविधा, प्रसंस्करण, विपणन और अन्य विशेषीकृत सेवाऐ जो सदस्यों को दी जा सकें।
9. प्रति यूनिट उत्पादन लागत को कम करने के लिए कृषकों के लिए कस्टम हायरिंग आधार पर कल्टीवेटर, टिलर, स्प्रिंकलर सेट, कंबाइन हार्वेस्टर और इस तरह के अन्य मशीनरी और उपकरणों की तरह जरूरत आधारित उत्पादन और पोस्ट प्रोडक्शन मशीनरी और उपकरणों को उपलब्ध कराना।
10. सफाई, परख, छँटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और साथ ही यथोचित सस्ती दर पर यूजर चार्ज के आधार पर फार्म लेवल प्रोसेसिंग जैसी मूल्य संवर्धन सुविधाएं उपलब्ध कराना, भण्डारण और परिवहन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं।
11. बीज उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती आदि जैसी उच्च आय देने वाली समस्त कृषि सहायक गतिविधियाँ।
12. कृषक सदस्यों की उपज के छोटे लॉट को एकत्र करना तथा मूल्य संवर्धन करके उन्हें अधिक बिक्री योग्य बनाना एवं समर्थन मूल्य खरीदी में शासकीय एजेंसी के रूप में प्राप्त।
13. उत्पादन और विपणन में विवेकपूर्ण निर्णय के लिए उपज के बारे में बाजार की जानकारी को सुगम बनाना।

14. साझा लागत के आधार पर भण्डारण, परिवहन, लोडिंग आदि जैसी– लाजिस्टिक सेवाओं की सुविधा प्रदान करना। ई–मार्केटिंग के माध्यम से कृषक सदस्यों को बाजार मूल्य एवं अन्य सेवाऐं दिलवाना।
15. खरीदारों को बेहतर मोल–भाव की ताकत के साथ और बेहतर और पारिश्रमिक कीमतों की पेशकश करने वाले विपणन चैनलों में कुल उपज का विपणन।
16. सहकारी, शासकीय, अर्द्धशाराकीय एवं निजी उपकमों के भागीदार/एजेन्ट के रूप में कार्य करना।
17. सभी कृषि संबंधी एवं उद्यानिकी संबंधित कार्य जैसे सब्जी उत्पादन, औषधीय, मसाले की फसल, सभी प्रकार के खाद्यान्न तथा समस्त प्रकार के कृषि आदान कार्य जैसे– कृषि उत्पाद बीज, पोषक तत्व, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण, पशु आहार आदि।
18. उपरोक्तानुसार संबंधित वस्तुओं/सामग्रियों का उत्पादन, भण्डारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, ग्रेडिंग, पैकिंग, परिवहन, वितरण, विपणन, विकय, शोरूम, दुकानें, शीत गृह, ग्रीन हाऊस, शाखाऐं स्थापित करना।
19. सब्जी उत्पादन, औषधीय पौधे, मसाला उत्पाद, बीज, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, लाख उत्पादन, कुक्कुट पालन, बीज उत्पादन, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरणों वस्तुओं का ट्रेडिंग, सिंचाई सुविधायें, मृदा परीक्षण लैब तथा एक्सटेंशन एवं कन्सलटेंसी सेवाये प्रदान करना।
20. कृषक उत्पादक सहकारी संस्था सदस्यों व्दारा जैविक (आर्गेनिक) उत्पादन, प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण के साथ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार निर्यात व वाणिज्यिक कार्य संचालित करना जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार के अनुसांगिक वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात करना व किराये से लेना।
21. वस्तु एवं सेवाओं की प्राप्तियों (प्रोक्योरमेंट), प्रसंस्करण, भण्डारण, विपणन, आदि सेवाऐं।
22. संस्था अपने सदस्यों के लिए उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार कृषि भूमि क्रय एवं सदस्यों से लीज व किराये पर ले सकेंगे।
23. संस्था के सदस्यों, कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण हेतु उनके योगदान से आवास, पेंशन, बोनस, भत्ते, चिकित्सा व्यय आदि की सुविधा प्रदान करना।
24. आवश्यकतानुसार कृषि आधारित उद्योग/उद्यम लगाना।
25. उन सभी गतिविधियों का संचालन करना जो उपरोक्त वर्णित गतिविधियों से संबंधित हों जिससे सदस्यों के बीच परस्पर सहयोग की भावना को बढ़ावा मिल सके तथा उनकी आर्थिक उन्नति सुनिश्चित हो सके।
26. जीवंत और स्थायी आय उन्मुख खेती/पशुपालन और समग्र सामाजिक, आर्थिक विकास और कृषि/पशुपालक समूदायों की भलाई हेतु सर्वांगीण और व्यापक आधारित सहायक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना।
    26.1 कुशल, लागत प्रभावी और स्थायी संसाधन उपयोग के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करना और अपनी उपज/पशु उत्पाद, डेयरी, पोल्ट्री, गोटरी, पिगरी उत्पाद, संबंधित समस्त उत्पाद के लिए बेहतर लिक्वीडिटी और बाजार लिंकेज के माध्यम से उच्च लाभ प्राप्त करना और सामूहिक कार्य के माध्यम से स्थायी बनाना।
    26.2 संस्था के सदस्यों को नॉलेज, मार्केट, फायनेंशियल लिंकेज उपलब्ध कराना।

26.3 यथोचित रूप से न्यूनतम थोक दरों पर पशुपालन गतिविधियों में गुणवत्ता उत्पादन के पशुओं/पक्षियों का प्रदाय, पशु/पक्षी आहार का प्रदाय, पशु औषधि/वैक्सीन थोक दरों में आपूर्ति करना।

26.4 पशुपालन आधारित उत्पादन और पोस्ट प्रोडक्शन मशीनरी और उपकरणों को उपलब्ध कराना।

26.5 बीज उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पशु उत्पाद, डेयरी, पोल्ट्री, गोटरी, पिगरी उत्पाद, संबंधित समस्त उत्पाद, मशरूम की खेती जैसे उच्च आय देने वाली गतिविधियाँ।

26.6 सभी कृषि संबंधी/पशुपालन संबंधी एवं उद्यानिकी संबंधी कार्य जैसे सब्जी उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, अंडा एवं मांस उत्पादन, औषधि मसाले की फसल, सभी प्रकार के खाद्यान तथा समस्त प्रकार के कृषि/पशुपालन आदान कार्य जैसे बीज, पोषक तत्व, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण, पशु आहार, पशु औषधि एवं वैक्सीन, पशु पालन गतिविधि में आवश्यक मशीनरी एवं उपकरण।

26.7 उपरोक्तानुसार संबंधित वस्तुओं, सामग्रियों का भण्डारण, प्रसंस्करण, पैकिंग, वितरण, विपणन, विक्रय, शोरूम, दुकानें, शीतग्रह, ग्रीनहाउस शाखाऐं स्थापित करने के साथ सब्जी उत्पादन, औषधीय पौधे, मसाले उत्पादन, बीज, मधु मक्खी पालन, रेशम उत्पादन, लाख उत्पादन, कुक्कुट पालन, डेयरी, बकरी एवं शुकर पालन, बीज उत्पादन, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि एवं पशु उपकरण, पशु औषधि, वस्तुओं की ट्रेडिंग, सिचाई सुविधाऐं, मृदा परिक्षण लैब, पशु रोग जांच, निशुल्क पशु उपचार सुविधा, पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन तथा एक्टेंशन एवं कन्सलटेंसी सेवाऐं प्रदान करना।

26.8 आवश्यकता अनुसार कृषि आधारित, डेयरी, अण्डा एवं मांस प्रसंस्करण आधारित उद्योग, उद्यम लगाना।

26.9 उपरोक्त अन्य गतिविधियाँ या उनकी सहायक गतिविधियाँ या आकस्मिक गतिविधियाँ या उपरोक्त गतिविधियों से संदर्भित गतिविधियाँ जो गतिविधियों के विकास, प्रोत्साहन या पारस्परिक सहयोग सिद्धांतों को बढ़ाने दें।

26.10 उपार्जन, प्रसंस्करण, विपणन या अन्य गतिविधियाँ जो उपरोक्त कार्यों से संबंद्ध हो उनके लिए सदस्यों हेतु वित्तीय व्यवस्था करना।

उपविधि क्रमांक– (4): संस्था के विकास को बनाए रखने के लिए मार्गदर्शक मूल्य एवं सिद्धान्त

4.1 मूल्यः संस्था स्वयं सहायता, स्वयं जिम्मेदारी, प्रजातांत्रिक, समानता, समता तथा एकता के मूल्यों पर आधारित है। ईमानदारी, पारदर्शिता, सामाजिक जिम्मेदारी तथा दूसरों की परवाह करने के नैतिक मूल्यों में एफपीओ के सदस्यों का विश्वास अवश्य होना चाहिए।

4.2 सिद्धान्तः संस्था के सिद्धान्त वे दिशा निर्देश हैं जिनके माध्यम से एफपीओ अपने मूल्यों को व्यवहार में लागू करेंगे।

4.2.1 पहला सिद्धान्त : स्वैच्छिक एवं खुली सदस्यता:

संस्था स्वैच्छिक संगठन है तथा सभी व्यक्ति इनकी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं और ये लैंगिक, सामाजिक, नस्लीय, राजनीतिक या धार्मिक भेदभाव के बिना सदस्यता की जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के इच्छुक होते हैं।

4.2.2 दूसरा सिद्धान्त: कृषक– सदस्य व्दारा लोकतांत्रिक नियंत्रण:

संस्था लोकतांत्रिक संगठन है तथा यह अपने कृषक सदस्यों व्दारा नियंत्रित होते हैं जो इनकी नीतियों का निर्धारण करने एवं निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं। चयनित प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाले पुरूष एवं महिला दोनों ही सदस्यों के सामूहिक निकाय के प्रति जवाबदेह होते हैं। प्राथमिक संस्था में कृषक सदस्यों को मतदान का समान अधिकार होता है। (एक सदस्य, एक मत) तथा अन्य स्तरों के कृषक उत्पादक सहकारी संस्था भी लोकतांत्रिक ढंग से संगठित होते हैं।

4.2.3 तीसरा सिद्धान्त: कृषक– सदस्य की आर्थिक भागीदारी:

कृषक– सदस्य अपने संस्था की पूंजी में समान रूप से योगदान करते हैं तथा लोकतांत्रिक ढंग से उसका नियंत्रण करते हैं। इस पूंजी का कुछ न कुछ भाग आम तौर पर संस्था की साझी संपत्ति होता है। कृषक सदस्य आम तौर पर सदस्यता की एक शर्त के रूप में जमा की गई अपनी पूंजी पर सीमित क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, प्राप्त करते हैं। कृषक– सदस्य निम्नलिखित में से किसी या सभी प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त भाग का आवंटन करते हैं। अपने संस्था का विकास करना, संभवतः बचत का गठन करके, जिसका कुछ न कुछ भाग अविभाज्य होगा, संस्था के साथ सदस्यों के लेन–देन के अनुपात में उनका लाभ प्रदान करना, और सदस्यों व्दारा अनुमोदित अन्य गतिविधियों की सहायता करना।

4.2.4 चौथा सिद्धान्त: स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता:

संस्था स्वायत्त, स्वयं सहायता संगठन है जिनका नियंत्रण उनके कृषक सदस्यों व्दारा किया जाता है। यदि वे दूसरे संगठनों, जिसमें सरकारें शामिल हैं, के साथ कोई करार करते हैं या बाह्य स्त्रोतों से पूंजी जुटाते हैं, तो वे ये सब ऐसी शर्तो पर करते हैं जो उनके सदस्य कृषकों व्दारा लोकतांत्रिक नियंत्रण का सुनिश्चय करती है तथा उनके संस्था की स्वायत्ता को बनाए रखती है।

4.2.5 पांचवा सिद्धान्त: शिक्षा, प्रशिक्षण एवं सूचना:

संस्था के प्रचालन संबंधी दिशा निर्देशों में उनके कृषक सदस्यों, चुने हुए प्रतिनिधियों, प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण का प्रावधान है ताकि वे अपने संस्था के विकास में कारगर ढंग से योगदान कर सकें। वह संस्था की प्रकृति एवं लाभों के बारे में आम जनता विशेष रूप से युवाओं तथा सहमति निर्माताओं को सूचना प्रदान करते हैं।

4.2.6 छठवां सिद्धान्तः सहकारी संस्थाओं एवं संस्था के बीच सहयोगः

संस्था अपने सदस्यों को सबसे कारगर ढंग से सेवा करते हैं तथा राष्ट्रीय, स्थानीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संरचनाओं के माध्यम से साथ मिलकर काम करके संस्था आन्दोलन को सुदृढ़ करते हैं।

4.2.7 सातवां सिद्धान्तः समुदाय के लिए सरोकारः

संस्था अपने सदस्यों व्दारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से अपने समुदायों के संपोषणीय विकास के लिए काम करते हैं।

उपविधि कमांक– (6)–संस्था द्वारा प्रदत्त सेवायें : सेवा प्रतिरूप :

संस्था अपने सदस्यों को कई तरह की सेवा प्रदान करेगा, उल्लेखनीय है कि यह अपने सदस्यों को लगभग शुरू से अंत तक सेवाएं प्रदान कर रहा है जिसके अंतर्गत खेती के लगभग सभी पहलू उत्पादक सामग्री, तकनीकी आपूर्ति एवं मांग में समन्वय स्थापित करने तथा बाजार सूचना, उत्पादक सामग्री की आपूर्ति तथा परिवहन सेवा जैसे प्रमुख कारोबार विकास सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने के लिए कृषकों, संसाधन उपलब्ध कराने वाले, व्यापारियों तथा फुटकर विक्रेताओं के बीच संबंध स्थापित करने में सुविधा प्रदान करेंगे। उभरती आवश्यकताओं के आधार पर, कृषक उत्पादक सहकारी संस्था समय–समय पर नई सेवाओं को शामिल करना जारी रखेंगे।

सेवाओं के समूह में वित्तीय, कारोबार तथा कल्याण से जुड़ी सेवाएं शामिल होती हैं। सेवाओं की सांकेतिक सूची में निम्नलिखित शामिल हैं :

5.1 उत्पादक सामग्री आपूर्ति सेवाएं:– कृषि एवं उद्यानिकी, पशुपालन एवं अन्य अनुषांगिक गतिविधियों आदि में लगने वाली सामग्री :–

5.1.1 संस्था सदस्यों को कम लागत वाले गुणवत्तायुक्त मांग अनुरूप उत्पादक सामग्री यथा समस्त यंत्र, पंप सेट, साजो–सामान, पाइप लाइन आदि की आपूर्ति करेंगे।

5.1.2 संस्था सदस्यों को कम लागत वाले गुणवत्तायुक्त मांग अनुरूप उत्पादक सामग्री प्रदान करेगें। यह पशु आहार, औषधि, वैक्सीन, उपकरण आदि की आपूर्ति करेगें।

5.2 खरीदी प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन खरीदी एवं पैकिंग, परिवहन करने के कार्य व सेवाएँ:

5.2.1 संस्था अपने सदस्य–कृषकों से कृषि उत्पादों की खरीददारी करेंगे, भण्डारण, प्रसंस्करण परिवहन तथा सामान पैक करने का कार्य करेंगे।

5.2.2 अपने सदस्य से पशु उत्पादों की खरीदी करेगें, भण्डारण/प्रसंस्करण तथा सामान पैक करने का काम करेगें।

5.3 विपणन सेवाएं:

संस्था कृषि एवं अन्य उत्पाद की खरीददारी करने के बाद उनका सीधे प्रसंस्करण/विपणन करेंगे। इससे सदस्यों के समय, लेन–देन की लागत, नापतोल संबंधी क्षति, मजबूरन बिक्री, कीमतों में उतार–चढ़ाव परिवहन, गुणवत्ता अनुरक्षण आदि की दृष्टि से बचत होगी। ई–मार्केटिंग प्लेट फार्म के माध्यम से बाजार उपलब्धता एवं लिकिगं कराएगें।

5.4 बीमा सेवाएं: संस्था विभिन्न प्रकार की बीमा सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।

5.5 तकनीकी सेवाएं:

5.5.1 संस्था खेती की बेहतर कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देंगे, विपणन सूचना प्रणाली का अनुरक्षण करेंगे, कृषि उत्पादन तथा फसल पश्चात प्रसंस्करण के क्षेत्र में ज्ञान एवं कौशलों में विविधता लाएंगे तथा उसका स्तर ऊपर उठाएंगे जिससे उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी।

5.5.2 पशुपालन की बेहतर कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देगे, विपणन सूचना प्रणाली का अनुरक्षण करेगें, कृषि उत्पादन, पशु उत्पाद तथा फसल पश्चात प्रसंस्करण के क्षेत्र में ज्ञान एवं कौशलों में विविधता लाएगें तथा उसका स्तर उपर उठायेगे जिससे उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी।

5.6 नेटवर्क सेवाएं:

सूचना के माध्यमों (उदाहरण के लिए, उत्पादक विनिर्देशन, बाजार कीमत आदि के बारे में) तथा अन्य कारोबार सेवाओं को ग्रामीण उत्पादकों के लिए सुगम्य बनाना, वित्तीय संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करनें में सहायता प्रदान करना, उत्पादकों, संसाधकों, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के बीच संबंध स्थापित करना, सरकारी कार्यक्रमों के साथ कृषक सुविधा एवं सूचना केन्द्र स्थापित करने में सहायता प्रदान करना।

उपविधि कमांक– (6) मिशन एवं विजन

6.1 आर्थिक दृष्टि से संभावना, लोकतांत्रिक एवं स्वशासी संस्था को बढ़ावा देना।

6.2 योग्य एवं अनुभवी संसाधन संस्थानों (आरआई) के माध्यम से ऐसी संस्था के संवर्धन के लिए सहायता प्रदान करना।

6.3 इन संस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपेक्षित सहायता एवं संसाधन एवं आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना।

6.4 संस्था के माध्यम से केता तथा विकेता दोनों रूपों में बाजारों तक पहुँच प्राप्त करने में कृषकों के सक्षम होने से जुड़ी बाधाओं को दूर करना।

6.5 उत्पादन एवं विपणन की उनकी सामूहिक शक्ति का लाभ उठाने के लिए संस्था में निवेश के लिए अनुकूल नीति परिवेश का सृजन करना।

उपविधि क्रमांक–(7) निधियाँ :

संस्था की निधियाँ निम्नानुसार एकत्रित की जायेगी :–

1. अंशपूंजी द्वारा।
2. अमानत प्राप्त करके (केवल सदस्यों से)।
3. ऋण प्राप्त करके।
4. दान/अनुदान शासकीय एवं अशासकीय स्त्रोतों से।
5. प्रवेश शुल्क।
6. राज्य शासन से सहायता।
7. केन्द्र शासन से सहायता।
8. कियान्वयन समिति एवं क्लस्टर आधारित व्यापारिक संस्था से सहायता।
9. एन.सी.डी.सी, नाबार्ड द्वारा।
10. शीर्ष संस्था से आर्थिक सहायता।
11. संस्था विशेष प्रस्ताव लेकर किसी भी सदस्य या संस्था से आर्थिक सहयोग या चंदा ले सकेगी जिसका उपयोग उत्पादक संस्था के सामाजिक, आर्थिक, कल्याण या पारस्परिक सहयोग हेतु किया जाएगा। किन्तु यह भी कि यह चंदा किसी राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक उद्देश्य या उससे जुड़े किसी व्यक्ति, संस्था से नहीं लिया जा सकेगा।

उपविधि क्रमांक–(8) –

(8.1) अंशपूंजी :

8.1.1 अंशों के निर्गमन से एकत्रित अंशपूंजी की राशि रूपये 50.00 लाख लागत होगी। एक अंश का दर्शनीय मूल्य 1000.00 रूपये होगा, जो कि अंश आवेदन के साथ देय होगा। ऐसे सदस्य "अ" वर्ग के होगें। प्रवेश शुल्क 100.00 रूपये अतिरिक्त रूप से देय होगा।

8.1.2. नाम मात्र के सदस्य, जिनको रू. 500/– प्रति अंश जमा करना व प्रवेश शुल्क रू. 50/– जमा करना होगा/ ऐसे सदस्य "ब" वर्ग के सदस्य होगें।

8.1.3 इसमें संस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सदस्यों के रूप में छोटे सीमांत, बटाईदार और महिला कृषकों/महिला स्वयंसेवा संगठन, एस.सी./एस.टी. कृषकों और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणियों आदि को शामिल करने के लिए विशेष प्राथमिकता दी जा सकती है। इसके शेयर धारकों के रूप में महिला कृषकों की भागीदारी सहकारी अधिनियम 1960 के अनुरूप होगी।

8.1.4 किसी एक सदस्य व्दारा अधिकतम शेयरधारिता संस्था की कुल इक्विटी का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(8.2) सरकार से एक मिलान इक्विटी अनुदान (मेचिंग इक्विटी ग्रांट) व्दारा सदस्यों की अपनी इक्विटी जो कि संस्था के वित्तीय आधार को मजबूत करने और उन्हें अपनी परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थानों से केडिट प्राप्त करने और व्यापार

विकास के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए आवश्यक है। इक्विटी अनुदान जो शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप होगा। यह इक्विटी ग्रान्ट इक्विटी में सरकारी की भागीदारी के रूप में नहीं है, बल्कि केवल संस्था के लिए एक अनुदान के रूप में कृषक सदस्यों की इक्विटी रूप में रहेगा।

(8.3) शासन की योजना द्वारा निर्धारित सदस्य संख्या एवं अन्य मापदण्डों की पूर्ति अनिवार्य होगी। न्यूनतम कृषक सदस्यों की संख्या पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।

उपविधि क्रमांक–(9) अमानत / ऋणः

1. संचालक मण्डल संस्था के व्यवसाय के विकास हेतु निर्धारित अवधि एवं ब्याज दर पर महती चालू बचत अमानत सदस्यों से प्राप्त की जा सकेगी, किन्तु ऐसे मुद्दती, चालू एवं बचत अमानतों पर दिये जाने वाले ब्याज की दर बैंक द्वारा अमानतों पर दी जाने वाली दर या रिजर्व बैंक व्दारा मान्यता प्राप्त गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान की दर से एक प्रतिशत से अधिक देय नहीं होगी।
2. संस्था शासकीय / गैर शासकीय विभाग संस्था व्दारा सृजित क्रेडिट गारंटी स्कीम का लाभ ले सकते हैं।
3. संचालक मण्डल व्दारा व्यवसायिक आवश्यकता पर पूर्णकालिक सदस्यों से अमानत लिया जा सकता है परन्तु ब्याज दर अधिसूचित बैंक की दर से 01 प्रतिशत से अधिक देय नहीं होगा।

उपविधि क्रमांक–(10) निधियों का विनियोजनः

अनुपयोगी रहने पर कृषक उत्पादक सहकारी संस्था की निधियाँ सहकारिता अधिनियम की धारा–44 अनुरूप जमा / विनियोजित की जायेगी।

उपविधि क्रमांक–(11) सदस्यता :

(क) कोई भी व्यक्ति उस समय ही सदस्य बन सकेगा जबकि–

1. वह संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करता हो, आयु के 18 वर्ष पूर्ण कर चुका हो एवं जो अनुबंध करने के लिये सक्षम हो।
2. संचालक मण्डल के बहुमत द्वारा निर्धारित प्रारूप में सदस्य हेतु उसके द्वारा प्रस्तुत लिखित आवेदन स्वीकार किया जा चुका हो।
3. जिसने कम से कम एक अंश लिया हो एवं प्रवेश शुल्क जमा कर दिया हो।
4. राजस्व लेखों के अनुसार जिसके पास कम से कम एक एकड़ कृषि योग्य भूमि स्वामित्व / बटाई / पट्टा से हो और फसलों को (प्रमुख रूप से संस्था द्वारा निर्देशित समस्त फसल) केवल संस्था को ही प्रदाय करने की सहमति दी हो। मौरसी (बटाईदार) कृषक के पास जब तक बटाई अनुबंध है, उस अवधि तक वह सदस्य रह सकेगा।
5. जो दिवालिया न हो और वैधानिक योग्यता रखता हो।

6. जो नैतिक अधोपतन के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया हो।

(ख) ऐसा व्यक्ति जो संस्था से व्यापारिक या अन्य प्रकार से संबद्ध होता है 500/– रूपये अंश जमा करके नाम मात्र का सदस्य बन सकेगा। ऐसे सदस्य को संस्था के निर्वाचन में मत देने एवं निर्वाचन लड़ने की पात्रता नहीं होगी।

(ग) ऐसा सदस्य जिसके द्वारा गत चार मौसम में समिति व्दारा आयोजित उत्पादन/संग्रहण/अन्य सेवाओं में सक्रिय हिस्सा लिया हो वह संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन में मत देने के एवं संचालक के रूप में निर्वाचन के योग्य होगा परन्तु यह शर्त संस्था के प्रर्वतक सदस्यों के लिए (प्रथम निर्वाचन पर) लागू नहीं होगी। संचालक के रूप में निर्वाचन के पश्चात् लगातार चार मौसम में संस्था व्दारा आयोजित उत्पादन/संग्रहण/अन्य सेवाओं में सक्रिय हिस्सा नहीं लेने पर संचालक के रूप में अपने पद पर नहीं रह जायेगा।

उपविधि क्रमांक–(12) सदस्य का दायित्वः

किसी भी सदस्य का दायित्व संस्था द्वारा उसको प्रदाय अंशों की राशि तक ही सीमित रहेगा।

उपविधि क्रमांक–(13) सदस्यता से त्याग पत्र :

कोई भी सदस्य संचालक मण्डल को अपना त्याग–पत्र सदस्य बनने से कम से कम 03 वर्ष तक प्रस्तुत नहीं कर सकेगा एवं उसे स्वीकृत कराकर संस्था से अलग हो सकेगा। लेकिन ऐसी स्वीकृति तब तक नहीं दी जा सकेगी जब तक कि उसकी ओर संस्था का ऋण/अन्य स्कन्ध राशि शेष हो तथा अन्य सदस्य की प्रतिभूति हो। यदि किसी सदस्य की ओर संस्था का ऋण शेष नहीं है एवं किसी अन्य सदस्य की प्रतिभूति नहीं है, तो ऐसे सदस्य का त्याग–पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक के एक माह बाद स्वीकृत माना जावेगा चाहे संचालक मण्डल द्वारा उसे स्वीकृत किया गया हो अथवा नहीं।

त्याग–पत्र देने की स्थिति में सदस्य को उसकी अंशपूंजी वापस नहीं की जाएगी किन्तु संबंधित सदस्य द्वारा वर्तमान सदस्य को हस्तान्तरित की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक–(14) सदस्य की अपात्रताः

कोई भी सदस्य निम्न स्थिति में संस्था का सदस्य नहीं रहेगा–

1. यदि वह उपनियम क्रमांक–11 में वर्णित सदस्यता के लिये योग्यताएं में से किसी भी एक में अपात्र हो जाता है/या नहीं रखता है।
2. यदि वह संस्था द्वारा निर्देशित उत्पादन/संग्रहण/अन्य सेवाओं में सक्रिय हिस्सेदारी नहीं करता है ऐसे सदस्य को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर उसकी सदस्यता सहकारी सोसाइटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत समाप्त की जा सकेगी।

3. कोई भी सदस्य संस्था सदस्य के रूप में प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। और वह सदस्य किसी कृषक उत्पादक सहकारी संस्था का सदस्य नहीं रहेगा, यदि

(अ) यदि वह म0प्रे0 सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 19 के अनुसार निरर्हित है।

(ब) यदि वह ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी सहकारी संस्था की सेवा से या सरकारी सेवा से हटा दिया हो।

(स) संस्था के व्यवसाय के समरूप व्यवसाय करना।

(द) वह सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अद्योपतन या किसी अन्य अपराध के लिए दण्डादिष्ट किया गया हों।

उपविधि क्रमांक–(15) सदस्यता से निष्कासन :

निम्न कारणों से संचालक मण्डल की बैठक में उपस्थित एवं मतदान की पात्रता रखने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संस्था का कोई भी सदस्य निष्कासित किया जा सकेगा–

1. यदि वह सतत् रूप से उपविधि के उल्लंघन का दोषी है।
2. यदि वह असत्य कथन/दस्तावेज द्वारा संस्था को जानबूझकर धोखा देता है।
3. यदि वह जानबूझकर ऐसा कार्य करता है जिससे संस्था की साख को क्षति होने की संभावना है।
4. यदि वह संचालक मण्डल के सुझावों एवं पारित प्रस्तावों का सतत् अनादर करता हो।
5. यदि उसके पास भूमि है, वह कृषि उत्पादन करता हो और अपना उत्पादन संस्था की नीति निर्देशों के विरूद्ध किसी अन्य को बेचता हो या क्रय–विक्रय या प्रक्रिया में व्यवहाररत हो।
6. यदि वह संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास नहीं करता है, एवं सदस्य बनने हेतु योग्यता में से कोई भी योग्यता नहीं रखता है।
7. यदि उसने 03 सहकारी वर्ष में संस्था को उसके द्वारा उत्पादित कृषि उपज प्रदान नहीं किया हो परन्तु किसी भी सदस्य को निष्कासन के पूर्व उसे संचालक मण्डल के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जावेगा और संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अधिनियम की धारा 19 (सी) के अनुरूप होगा।।
8. संस्था द्वारा किये जा रहे व्यवसाय के समरूप व्यवसाय कर रहे सदस्य को सदस्यता से निष्कासित किया जा सकेगा।
9. यदि वह संस्था द्वारा निर्देशित कृषि उत्पादन कार्यक्रम का पालन नहीं करता है एवं कार्यक्रम अनुसार उत्पादन नहीं करता है।

उपविधि क्रमांक–(16) सदस्यता की समाप्ति :

(क) निम्न लिखित में से किसी एक भी कारण से किसी व्यक्ति की सदस्यता समाप्त मानी जावेगी, किन्तु सदस्य अथवा उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को 15 दिन में इस निर्णय की सूचना दी जावेगी–

1. मृत्यु पर।
2. संचालक मण्डल द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकृत किये जाने पर।
3. उनके द्वारा धारित अंश किसी अन्य को हस्तांतरित हो जाने पर।
4. उपनियम कमांक–15 अनुसार निष्कासित करने पर।
5. अधिनियम की धारा–19 (सी) के अनुसार निष्कासित किये जाने पर
6. किसी सदस्य को सदस्यता से निष्कासन होने पर संस्था द्वारा उसकी अंशराशि तत्काल वापस की जावेगी।

उपविधि क्रमांक–(17) अंश क्रय प्रकिया :

अंशो के लिये लिखित आवेदन किया जावेगा एवं संचालक मण्डल द्वारा उसका निराकरण 30 दिवस किया जायेगा। अंशपूंजी पर कृषक उत्पादक सहकारी संस्था व्दारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

उपविधि क्रमांक–(18) अंश प्रमाण पत्रः

1. प्रत्येक अंशधारी को अलग अनुक्रमांक के अंश प्रमाण–पत्र दिये जायेगें। भारत सरकार व्दारा इक्वटी मैचिंग ग्रान्ट से प्राप्त राशि पर भी अंश आवंटित किया जाकर अंश प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा परन्तु सदस्यता समाप्ति पर यह राशि सदस्य को वापिस देय नहीं होकर अन्य सदस्य को हस्तांतरण होगी तथा यह राशि भुगतान नहीं होगी।

2. संस्था में एक सदस्य रजिस्टर रखा जावेगा, यथासंभव अंश एवं सदस्यता पंजी ऑनलाईन रहेगी। इस रजिस्टर में निम्नांकित प्रविष्ठियाँ की जावेगी।

   अ. सदस्य का नाम, पता तथा उसकी उपजीविका का साधन।
   ब. उसके द्वारा धारित अंशों की संख्या।
   स. वह तारीख जिसको वह सदस्य के रूप में प्रविष्ठ किया गया ।
   द. वह तारीख जिसको वह सदस्य नहीं रह गया।
   य. उस व्यक्ति का नाम जो उसके अंश या हित का हकदार होगा साथ ही नामांकन अभिलिखित की जाने वाली तारीख।
   र. आधार कार्ड।
   ल. सदस्य का फोटो, हस्ताक्षर युक्त।
   व. मोबाईल नम्बर/ईमेल (अनिवार्य नहीं)।
   ष. इक्विटी ग्रांट की प्राप्त राशि।
   श. नामांकित उत्तराधिकारी का नाम एवं संबंध।

उपविधि क्रमांक–(19) अंशों का हस्तान्तरणः

यदि कोई भी सदस्य 03 वर्ष तक अंश धारण के पश्चात् संचालक मण्डल की स्वीकृति से अन्य सदस्य/सदस्यो अंश हस्तांतरण कर सकेगा, लेकिन इस हेतु 15 दिन पूर्व हस्तान्तरण प्राप्तकर्ता की सहमति के साथ आवेदन करना होगा। अंशों का अन्तरण

तभी पूर्ण माना जावेगा जबकि रूपये 100/– की अंतरण शुल्क संस्था में जमा कर दिये गये हो एवं अंश अंतरण (हस्तांतरण) पूंजी में तदाशय की प्रविष्टि कर ली गई हो। उपविधि कमांक 12 के अन्तर्गत निष्कासित सदस्यों की अंश/अंशों की राशि संचालक मण्डल के प्रस्ताव द्वारा राजसात की जावेगी।

उपविधि क्रमांक–(20) संस्था व्दारा लिए गए संविदाकृत ऋणों के लिए सदस्यों की देयता का स्वरूप एवं सीमा:

संस्था में सदस्यों को संविदाकृत उधार की पात्रता उसके व्दारा संस्था में जमा की गई कुल बचत यथा अंशपूंजी, अमानत एवं अन्य जमा तथा भारत सरकार व्दारा मेंचिंग इक्विटी ग्रांट स्कीम के तहत उपलब्ध कराई गई राशि के योग के बराबर होगा।

उपविधि क्रमांक–(21) सदस्य की मृत्यु होने पर अंशराशि की वापसी :

सदस्य की मृत्यु होने पर अंश उसके नामांकित उत्तराधिकारी को अंश एवं अंशराशि स्थानांतरण की जाएगी। नामांकित उत्तराधिकारी न होने पर यह अंशराशि संस्था के पास रखी जाएगी तथा जब तक कोई मृतक सदस्य का विधिक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र नहीं देता है। विधिक उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर राशि भुगतान की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक–(22) सदस्य द्वारा धारित अधिकतम अंशपूंजी :

कोई भी सदस्य संस्था की प्रदत्त अंशपूंजी के 1/10 से अधिक अंशधारण नहीं कर सकेगा।

उपविधि क्रमांक–(23) अंश/हित का नामांकन:

संस्था का कोई सदस्य संस्था के किसी कर्मचारी या अधिकारी को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद उसके अंश/हित या अन्य राशि प्राप्त करने हेतु नामांकित कर सकेगा। ऐसे प्रथम नामांकन हेतु कोई राशि/शुल्क नहीं लिया जावेगा किन्तु इसके बाद प्रत्येक परिवर्तन या अन्तरणों पर रूपये 100 शुल्क लिया जावेगा, ऐसे नामांकन पर सदस्य को दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर करना होगा।

उपविधि क्रमांक–(24) सदस्य की मृत्यु पर दावों का निपटारा :

24.1. सदस्य की मृत्यु की दशा में कृषक उत्पादक सहकारी संस्था में अंशों या अन्य जमा राशियों, उसके द्वारा नामांकित व्यक्तियों या ऐसे नामांकन के अभाव में संचालक मण्डल के निर्णय अनुसार ऐसे सदस्य जो उसके उत्तराधिकारी के रूप में हो और उक्त राशि प्राप्त करने के अधिकारी हो। मुद्दती जमा पर राशि को उसकी अवधि समाप्त होने पर ही वापस की जायेगी। सदस्य की मृत्यु की दशा में उसके उधार/किसी राशि की बकाया लेनदारी होने पर समायोजन कर ही अंश का नामांकन किया जाएगा। यदि मृतक सदस्य की संस्था पर कोई लेनदारी है तो देय राशि का समायोजन देनदारी से किया जाएगा।

24.2 सदस्य की मृत्यु होने पर उस पर संस्था के उधार या अन्य लेनदारियों का दायित्व संबंधित मृत सदस्य के उत्तराधिकारियों से होगा तथा उससे वसूली हेतु अधिकृत कार्यवाही की जाएगी। नामांकित उत्तराधिकारी हो या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर भुगतान किया जाएगा।

उपविधि क्रमांक–(25) आमसभा :

आमसभा– अधिनियम, नियम एवं उपनियमों के प्रावधनों के अन्तर्गत, संस्था की आमसभा को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होगी।

संस्था की प्रथम आमसभा को भी वही शक्तियाँ प्राप्त होगी, जो कि वार्षिक आमसभा के लिये आगे दर्शायी गई है।

उपविधि क्रमांक–(26) आमसभा के विषय :

संस्था वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व 6 मास के भीतर आपने सदस्यों की आमसभा बुलायेगी। आमसभा में निम्न कार्य होगें–

1. गत् आमसभा की कार्यवाही की पुष्टि करना।
2. संचालक मण्डल से संस्था द्वारा गत वर्ष में किये गये कार्यो का प्रतिवेदन, व्यवसाय तथा लाभ–हानि पत्रक तथा स्थिति विवरण पत्रक प्राप्त करना, उस पर विचार करना तथा लाभ के विनियोजन एवं वितरण की स्वीकृति देना।
3. संचालक मण्डल एवं प्रतिनिधियों का निर्वाचन।
4. संस्था का बजट पारित करना।
5. आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त करना एवं आगामी वर्ष का कार्यक्रम स्वीकार करना, तथा आय व्यय की स्वीकृति देना।
6. पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, कियान्वयन एजेंसी, सी.बी.बी.ओ. **(Cluster Based Business Organization)**,एन.पी.एम.ए.**(National Project Management Advisory)** एवं कलस्टर से प्राप्त निर्देशों पर विचार करना तथा आवश्यक निर्णय लेना।
7. उपविधि क्रमांक– 7, 8, 9 के अन्तर्गत् एकत्रित की जाने वाली निधियों/अमानत की सीमा निश्चित करना।
8. उपर्युक्त रीति से प्रस्तावित अन्य कार्य सम्पादन करना।
9. **आमसभा में की गई कार्यवाही को आमसभा की कार्यवाही पुस्तिका में अंकित करना:**– आमसभाओं की कार्यवाही, कार्यवाही पुस्तिका में प्रविष्टी की जावेगी। इस कार्यवाही की पुष्टि के लिए उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जावेगें जिसके द्वारा उस बैठक की अध्यक्षता की गई हो। बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रतिलिपि बैठक के दिनांक से 30 दिन के भीतर आमंत्रित सदस्यों को प्रेषित की जावेगी।
10. आमसभा व्दारा वैधानिक लेखा परीक्षण एवं आडिट हेतु सहकारिता विभाग एवं सहकारिता विभाग व्दारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स पैनल से अंकेक्षक की नियुक्ति करेंगा।

11. संस्था की डी.पी.आर., वार्षिक लक्ष्यों की पूर्ति एवं एम.आई.एस की समीक्षा की जाएगी।
12. सहकारिता अधिनियम की धारा 49 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विषय रखना।
13. आमसभा में उपस्थित सदस्यो के 1/2 बहुमत से कोई भी सदस्य कार्य सूची में न लिया हुआ विषय सम्मिलित करा सकेगा। किन्तु इस हेतु अध्यक्ष को लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ऐसा प्रश्न किसी सदस्य के निकाले जाने अथवा निकाले हुये सदस्यों को फिर से भर्ती करने अथवा इन उपविधियों में संशोधन करने के संबंध में अथवा ब्याज एवं पारिश्रमिक की दरों में घट बढ़ करने के बारे में नहीं होगा।

उपविधि क्रमांक–(27) :

1. **विशेष आमसभा को बुलाने की रीति व गणपूर्ति :**

संस्था के कारोबार के संबंध में आमसभा को पूर्ण अधिकार होगें, आमसभा की बैठक प्रति वर्ष सहकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप आहूत की जावेगी। इसके अतिरिक्त जब भी आवश्यक हो संचालक मण्डल के प्रस्ताव अथवा संस्था के कम से कम 1/10 सदस्यों के लिखित प्रार्थना पत्र पर जिसमें आमसभा की बैठक एक माह के अन्दर बुलाई जावेगी। संस्था के पंजीयन के पश्चात् सदस्यों की जो प्रथम आमसभा होगी उसको भी वही अधिकार होगें जो इस उपविधियों में वार्षिक आमसभा को दिए गये हैं।

2. **गणपूर्ति/कोरम :**

आम सभा या विशेष आमसभा की बैठक के लिये गणपूर्ति (कोरम) आवश्यक होगी। आमसभा या विशेष आमसभा की सूचना जारी करने के दिनांक को संस्था की कुल सदस्य सख्या का 1/10 या 50 जो भी कम है आवश्यक होगा। यदि गणपूर्ति नहीं होती तो बैठक स्थगित करके पुनः 14 दिवस की सूचना बैठक आयोजित की जावेगी। उक्त सूचना में बैठक के लिये नियत समय के आधा घण्टे भीतर गणपूर्ति न हो पाये तो पुनः आमसभा की बैठक बुलाई जायेगी। आमसभा की बैठक बुलाये जाने के सूचना पत्र में अन्यथा उल्लेखित् न हो, अध्यक्ष द्वारा ऐसी तारीख, ऐसे समय और स्थान के लिये स्थगित कर दी जायेगी, जैसा कि वह घोषित करें और स्थगित बैठक के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी और स्थगित बैठक में सदस्यों को सूचना के साथ परिचालित की गई कार्य सूची के विषयों पर भी चर्चा की जावेगी। परन्तु आमसभा/विशेष आमसभा की बैठक जो धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन सदस्यों की अध्यपेक्षा पर बुलाई गई हो, स्थगित नहीं की जावेगी किन्तु निरस्त कर दी जावेगी।

3. **आमसभा की सूचना :**

आमसभा की कार्य सूची, दिनांक, समय तथा स्थान की सूचना एवं विषय सूची (एजेण्डा) प्रत्येक सदस्य को 14 दिवस पूर्व तथा मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के प्रावधान अनुसार दी जावेगी। उपविधियों में संशोधन की स्थिति में प्रस्तावित संशोधन की रूपरेखा सूचना के साथ प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी।

उपविधि क्रमांक–(28) आमसभा में मताधिकार :

आमसभा में प्रत्येक उपस्थित सदस्य को, उसने चाहे कितने ही अंश क्यों न लिये हों, केवल एक मत देने का अधिकार होगा। कोई भी सदस्य अपने प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान नहीं करा सकेगा। उन मामलों के अतिरिक्त जिनके निर्णय के लिये मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 तथा उसके अन्तर्गत् नियम या संस्था की उपविधियों में विशेष बहुमत से होगा, दोनों पक्षों में समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष को अपना एक और निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। संस्था की संचालक मण्डल का चुनाव अधिनियम एवं नियमों के प्रावधान अनुसार होगा परन्तु चुनाव के अतिरिक्त सामान्य विषयों में मतगणना हाथ उठाकर अथवा उसी पद्धति से जो सभा के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जावे, सम्पन्न होगी।

उपविधि क्रमांक–(29) : आमसभा की अध्यक्षता :

संस्था का अध्यक्ष उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि दोनों उपस्थित न हो तो कृषक उत्पादक सहकारी संस्था के अन्य सदस्यों में जिसकों उपस्थित सदस्य निर्वाचित करें विशेष आमसभा की अध्यक्षता करेगा। परन्तु ऐसी स्थिति में जबकि अधिनियम की धारा–49(13) के तहत् पंजीयक द्वारा संस्था का कार्यभार संभाल लिया गया हो, अथवा धारा–53(13) के तहत् निर्वाचित संचालक मण्डल के स्थान पर नामांकित संचालक मण्डल गठित किया गया हो, आमसभा की अध्यक्षता पंजीयक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी।

उपविधि क्रमांक–(30) :

(क) संचालक मंडल :–

1. संस्था के संचालक मंडल में अधिकतम 15 सदस्य होगे। संचालक मण्डल के सदस्य अपने में से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करेगें। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। पॉच वर्ष की अवधि की गणना संचालक मण्डल की प्रथम बैठक की दिनांक से होगी। पंजीयन के समय गठित प्रथम नामांकित संचालक मंडल का कार्यकाल केवल छः माह का होगा। छः माह की अवधि में ही नवीन संचालक मंडल का निर्वाचन कराना होगा। परन्तु विशेष परिस्थिति में पंजीयक की अनुमति से अंतरिम संचालक मण्डल के कार्यकाल में छः माह की वृद्धि की जा सकेगी।

2. संस्था के संचालक मंडल में निम्न प्रकार से 11 निर्वाचित एवं 02 विषय विशेषज्ञ के रूप में नामांकित सदस्य होगें। नामांकित सदस्यों का सहयोजन निर्वाचित संचालकों व्दारा किया जावेगा।

3. सहकारी अधिनियम के अनुसार महिला वर्ग में पद आरक्षित होंगे।

4. यदि संस्था में अनुसूचित जाति या जनजाति प्रवर्ग के वैयक्ति सदस्य हों तो एक स्थान उस प्रवर्ग के सदस्य के लिए आरक्षित रखा जावेगा जिसके सदस्य संख्या अधिक होगी।

5. संस्था के संचालक मण्डल मे 1 अध्यक्ष एवं 2 उपाध्यक्ष होंगे।

6. यदि संस्था ऋण लेती है तो वित्तदायी संस्था का 01 प्रतिनिधि।

7. शासन का 01 प्रतिनिधि।

(ख) संचालक मण्डल के सदस्यों में से 1/2 की उपस्थिति होने पर गणपूर्ति मानी जावेगी।

उपविधि क्रमांक–(31) संचालक मण्डल के सदस्य हेतु योग्यता :

निम्न योग्यता वाले सदस्य ही निर्वाचन के योग्य हो सकेगें एवं संचालक मण्डल के सदस्य बने रहे सकेगें–

1. यदि वह किसी भी कालातीत ऋण के लिये कृषक उत्पादक सहकारी संस्था का दोषी नहीं है।
2. यदि उसका संस्था के किसी चालू अनुबंध में अथवा संस्था द्वारा कय या विकय की गई सम्पत्ति में अथवा संस्था द्वारा किये गये अन्य व्यवहार में कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष हित नहीं है। (संस्था में उसके द्वारा किये गये विनियोग को छोड़कर)
3. यदि वह इस संस्था अथवा किसी अन्य संस्था में राशि के गबन, दुर्व्यवस्था के लिये दण्डित नहीं किया गया है। अथवा किसी भी वैधानिक प्रकिया द्वारा अयोग्य नहीं किया गया है।
4. यदि वह किसी भी अन्य संस्था के किसी भी उत्तरदायित्व हेतु अधिनियम की धारा 66 के अधीन उत्तरदायी नहीं पाया गया है एवं अधिनियम की धारा 74 के अधीन किसी भी अपराध हेतु दण्डित नहीं किया गया है।
5. यदि वह स्वयं उस संस्था का या अन्य संस्था का वेतन भोगी कर्मचारी नहीं है, और संस्था के किसी कर्मचारी का निकट का रिश्तेदार नहीं है।
6. यदि वह स्वयं या उसके संयुक्त परिवार को कोई सदस्य संस्था के समान व्यवसाय नहीं करता है, या किसी ऐसा व्यवसाय में भागीदार नहीं है। व्यवसाय में ठेके या उप ठेंके भी सम्मिलित होगें।
7. यदि कृषक सदस्य द्वारा विगत चार मौसम में से कम से कम किसी एक मौसम में कृषि उत्पादन किया हो अथवा उत्पादित फसल संस्था को प्रदाय किया गया हो।
8. यदि उसके विरूद्ध संस्था की राशि वसूल करने हेतु कोई वैधानिक कार्यवाही प्रकियाधीन नहीं हो।
9. यदि उसने गत तीन वर्षो में कृषक उत्पादक सहकारी संस्था के वैतनिक कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं किया हो।
10. यदि उसमें अधिनियम, नियम एवं उपनियमों के अनुरूप कोई अयोग्यता नहीं है।
11. संस्था के एक पूर्ण अंश का स्वामी हो।

12. ऐसा सदस्य जिसके द्वारा गत चार मौसम में से किसी एक मौसम में संस्था व्दारा आयोजित उत्पादन/संग्रहण/अन्य सेवाओं सक्रिय हिस्सा लिया हो वह संस्था के संचालक मण्डल के निर्वायन में मत देने के एवं संचालक के रूप में निर्वाचन के योग्य होगा। तथा संचालक के रूप में निर्वाचन के पश्चात् लगातार चार मौसम में संस्था व्दारा आयोजित उत्पादन/संग्रहण/अन्य सेवाओं में सक्रिय हिस्सा नहीं लेने पर संचालक के रूप में अपने पद पर नहीं रह जायेगा।

उपविधि क्रमांक–(32) संचालक मण्डल की सदस्यता समाप्ति :

कोई भी सदस्य निम्न कारणों से संचालक मण्डल की सदस्यता से स्वमेय मुक्त हो जावेगा–

1. अपना त्याग पत्र प्रस्तुत करने एवं संचालक मण्डल से स्वीकृत कर लेने पर।
2. मृत्यु अथवा किसी अन्य कारण से संस्था की सदस्यता समाप्त हो जाने पर।
3. संचालक मण्डल के सदस्य हेतु बिन्दु उपविधि क्र. 33 में से आवश्यक योग्यता में से एक भी योग्यता के समाप्त होने पर।
4. संचालक मण्डल की बैठकों में सतत् तीन बार अनुपस्थित रहने पर।

उपर्युक्त कारणों का उल्लेख संचालक मण्डल को अपनी बैठकों में करना होगा, तथा वह प्रस्ताव उसी दिनांक से प्रभावी होगा जब से उसे अंकित किया गया है। संचालक मण्डल का उत्तरदायित्व होगा कि ऐसे प्रस्ताव की सूचना सदस्य को दी जाये।

उपविधि क्रमांक–(33) संचालक मण्डल का निर्वाचनः

सहकारी अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत संस्था का निर्वाचन म.प्र.राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा संस्था के पदाधिकारियों का निर्वाचन करना होगाः–

1. निर्वाचन अधिकारी संचालक मण्डल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधि के निर्वाचन हेतु आयोजित बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
2. संचालक मण्डल के निर्णय बहुमत से लिये जायेगें।

उपविधि क्रमांक–(34) संचालक मण्डल की बैठकः

संचालक मण्डल बैठक कार्य सम्पादन हेतु जब आवश्यक होगी तब अथवा 03 माह मे कम से कम एक बार अवश्य सम्पन्न होगी। (यदि संभव हो, तो पूर्व बैठक में आगामी बैठक के लिये माह का सप्ताह, दिन व समय तय कर लिया जायेगा ताकि सभी सदस्यों को उसकी जानकारी रहे।) संचालक मण्डल के सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु मानदेय रू. 200/– एवं आने जाने का भत्ता जो सार्वजनिक वाहन की दर से ही देय होगा लेकिन संस्था की आर्थिक स्थिति के आधार पर ही देय होगा।

उपविधि क्रमांक–(35) संचालक मण्डल सदस्यों के हित संबंधी निर्णयः

कोई भी सदस्य किसी ऐसे विषय पर जिसमें उसका व्यक्तिगत् हित निहित है। उपस्थित नहीं रहेगा एवं मतदान नहीं करेगा। किन्तु उसके लिये हितों के विरूद्ध निर्णय लिये जाने की स्थिति में उसे अपना पक्ष स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया जावेगा।

उपविधि क्रमांक–(36) संचालक मण्डल के सदस्यों की आकस्मिक रिक्त स्थान की पूर्ति:

संचालक मण्डल के कार्यकाल में हुए उसके सदस्य अथवा प्रतिनिधि के किसी आकस्मिक रिक्त स्थान की पूर्ति संचालक मण्डल के शेष सदस्यों द्वारा उसी वर्ग के सदस्यों में से सहयोजन द्वारा की जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी/बोर्ड व्दारा रिक्तियों की पूर्ति 06 माह में कराना अनिवार्य होगा जो सहयोजन द्वारा राज्य निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

उपविधि क्रमांक–(37) संचालक मण्डल का निर्णय:

संचालक मण्डल द्वारा अथवा संचालक मण्डल के किसी सदस्य द्वारा किया गया कोई भी कार्य बाद में यह ज्ञात होने पर भी संचालक मण्डल या उसके सदस्य की नियुक्ति में कोई दोष था उसी प्रकार वैध समझा जावेगा जैसे की संचालक मण्डल का उस व्यक्ति की नियुक्ति विधिवत हुई हो। संचालक मण्डल का निर्णय संचालक मण्डल के 1/2 बहुमत के रूप में मान्य कर कियान्वित किया जावेगा। अध्यक्ष संचालक मण्डल का निर्णय मानना बाध्य कर होगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी निर्णय का पालन करेगा।

उपविधि क्रमांक–(38) संचालक मण्डल का निर्णय लेखन:

संचालक मण्डल के समस्त निर्णय बैठक की कार्यवाही के साथ ही रखी कार्यवाही पुस्तिका में अंकित किये जाकर अधिनियम के अनुरूप सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाऐगें।

उपविधि क्रमांक–(39) संचालक मण्डल का कार्य:

उपविधियों के अन्तर्गत् अन्यत्र निश्चित कार्यो के अतिरिक्त संचालक मण्डल के कर्तव्य, अधिकार निम्नानुसार होगें–

1. गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करना।
2. सदस्यता, त्याग–पत्र, अंश, आबंटन, अंतरण, एवं वापसी के आवेदनों का निपटारा करना तथा अंशों की बकाया किश्त की वापसी हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
3. संस्था के कार्य रांचालन हेतु आवश्यक निधियाँ एकत्र करना, अमानतें प्राप्त करने हेतु शर्तो का निश्चय करना और निधियों के आधिक्य का अधिनियम की धारा 44 के अनुरूप विनियोजित करना।
4. विशिष्ट कार्यो हेतु उप समितियाँ नियुक्त करना एवं उन्हें आवश्यक कार्य एवं अधिकार प्रदान करना।
5. सहकारी बैंक या अन्य बैंक में संस्था के नाम से आवश्यक खाते खोलना एवं नगदी व्यवहार हेतु आवश्यक अधिकार देना।
6. संस्था के लेखों का निरीक्षण करना, रोकड़ का भौतिक सत्यापन करना एवं अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल के किसी सदस्य को रोकड़ बही पर नियमित रूप से हस्ताक्षर करना/करने हेतु अधिकृत करना।

7. आमसभा के आयोजन का दिनांक समय स्थान एवं विषय सूंची निश्चित करना अधिनियम की धारा 50 के अनुरूप विशेष आमसभा आमंत्रित करना और यह देखना कि वार्षिक आमसभा निर्धारित समयावधि में होती है।
8. वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे समयावधि में तैयार कराना और आमसभा को लाभ वितरण की सिफारिश करना।
9. स्वत्व की मांग प्रस्तुत करना वैधानिक प्रकरणों में प्रतिरक्षण अथवा समझौता करना एवं करवाना।
10. संस्था के कार्यालय अथवा भण्डारण या सामान विकय हेतु भवन अथवा गोदाम किराये पर लेना या साधारण सभा का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर निर्माण करना अन्यथा कय करना।
11. संस्था के सफल संचालन हेतु आमसभा के प्रस्ताव, अधिनियम, नियम एवं उपनियमों के अनुकूल प्रशासकीय नियम बनाना ऐसे प्रशासकीय नियम संचालक मण्डल की कार्यवाही पुस्तक में अंकित किये जायेगें ।
12. शासन एवं सहकारिता विभाग द्वारा मांगे गये सभी पत्रक एवं अन्य जानकारी समयावधि में प्रस्तुत करना साथ ही प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक संस्था के वित्तीय पत्रक तैयार कर जिले के उप/सहायक पंजीयक के कार्यालय में प्रस्तुत करना।
13. पंजीयक द्वारा अंकित अंकेक्षण शुल्क आदेश प्राप्ति के 15 दिन के भीतर शासकीय कोषालय में पंजीयक के निर्देशानुसार जमा करना।
14. संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन पर कार्यवाही करना तथा अंकेक्षण टीप में दिये निर्देशों के कार्यान्वयन की व्यवस्था करना अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शित त्रुटियों का निराकरण करना एवं उसके प्राप्ति के दो माह में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।
15. संस्था के उपनियमों एवं उसके अन्तर्गत् बने नियमों में संशोधन, आमसभा को सिफारिश करना।
16. संस्था के प्रबंधक से संस्था के मासिक लेखा पत्रकों जैसे आय–व्यय बिकी खरीद एवं स्कंध आदि प्राप्त करना उनका निरीक्षण एवं अनुमोदन करना तथा आमसभा द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधानों के अन्तर्गत व्ययों का अनुमोदन करना।
17. संस्था के लेखा पंजी यंत्र एवं औजार सामान स्कंध आदि के लिये विशिष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित करना।
18. संस्था की नगद राशि अथवा अन्य सम्पत्तियों की उचित दर पर पैकेज इनश्योरेंस पालिसी लेना।
19. आमसभा/पंजीयक व्दारा नियुक्त अंकेक्षक से वर्ष का वैधानिक अंकेक्षण का कार्य पूर्ण कराना।
20. संस्था के बकाया ऋणों की वसूली हेतु सभी आवश्यक कदम उठाना। उत्पादन वृद्धि हेतु कार्य करना तथा फसल उत्पादन के लिए सभी सम सामयिक कृषि कार्य करना, जिसमें विभिन्न बीजों की किस्मों के प्रयोग भी शामिल होंगें।
21. संस्था के प्रबंधक एवं अन्य वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना, कार्य मुक्त करना, निलंबित करना पृथक करना, एवं अन्य आवश्यक विभागीय कार्यवाही करना। यदि विभाग द्वारा प्रबंधक के संवर्ग का निर्माण किया गया तो उनकी नियुक्ति उसमें की जा सकेगी।
22. पंजीयक संहकारी संस्थाऐं के पूर्व अनुमोदन से संस्था के सभी वैतनिक कर्मचारियों के वेतनमान सेवा शर्ते, योग्यता, निर्धारण करना और कर्मचारियों के कार्य अधिकार एवं उत्तरदायित्व निर्धारण करना ।

23. संस्था के सभी कर्मचारियों से सिक्युरिटी बॉन्ड निष्पादन कराकर प्राप्त करना, उन्हें संरक्षित रखना तथा उसकी रसीद प्राप्त करना। प्रतिवर्ष यह सुनिश्चित् करना कि कर्मचारियों की प्रतिभूति चालू है एवं तदाशय का संचालक मण्डल की बैठक में लेखा अंकित करना।
24. संस्था के कर्मचारियों के लिये कर्मचारी भविष्यनिधि के प्रावधान को पंजीयक के अनुमोदन के बाद उन्हें कार्यान्वित करना।
25. संचालक मण्डल निर्धारित सीमाओं में अधिनियम की धारा–44 के अन्तर्गत राशि विनियोजित कर सकेगी।
26. संस्था का संचालक मण्डल–संस्था के कृषि उत्पादन संबंधी समस्त वैधानिक कार्य यथा पंजीकरण प्रसंस्करण, उपार्जन, अनुदान प्राप्ति एवं अन्य कार्य करेगा।
27. कियान्वयन एजेंसी के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में संस्था को व्यवसायिक रूप से सक्षम बनाने का कार्य।
28. क्लस्टर आधारित व्यवसायिक संगतन के सहयोग से संस्था एवं सदस्यों के अधिकतम हित में कार्य निष्पादन।
29. समेकित पोर्टल पर डाटा की जानकारी तैयार करना एवं उसे अपलोड करना।
30. व्यवसायिक कार्य योजना का निर्माण एवं समीक्षा करना।
31. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, एन.पी.एम.ए, सी.वी.वी.ओ कियान्वयन एजेंसी से लिये गये अनुबंध, वित्तीय सहायता एवं डी.पी.आर., प्रशिक्षण, व्यवसाय विकास, विपणन की समीक्षा करना।
32. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी महत्वपूर्ण हानि होने पर तत्काल विशेष आमसभा की बैठक बुलाकर तथ्यगत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एवं आमसभा व्दारा लिये गये निर्णय अनुसार कार्यवाही करना।
33. कृषि उपज का संग्रहण एवं परिवहन की व्यवस्था हेतु नीति निर्धारित करना।
34. प्रबंधक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यों की समीक्षा करना।
35. संचालक मण्डल अपने संचालकों के मध्य संचालकवार या उपसमिति बनाकर कार्य आवंटन कर सकेगा।

उपविधि क्रमांक–(40) अध्यक्ष:

अध्यक्ष:– अध्यक्ष के कर्तव्य, जो उप नियमों के अन्यत्र कहीं भी दिये गये हैं, के अतिरिक्त निम्नुसार होगें –

अधिनियम, नियम, उपविधि में दिए गए अधिकार संचालक मण्डल व समितियों की बैठक की अध्यक्षता करना एवं क्रियान्वित कराना।

उपविधि क्रमांक–(41) मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रबंधक –

(41.1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रबंधक संस्था के कार्यकारी निकाय व्दारा नियुक्त किया जाना चाहिए जो कृषि/कृषि विपणन/कृषि व्यवसाय प्रबंधन या एम.बी.ए या समकक्ष में स्नातक होना चाहिए। 10+2 के साथ स्थानीय रूप से उपलब्ध पेशेवर और कृषि/कृषि विपणन/कृषि व्यवसाय प्रबंधन में डिप्लोमा या ऐसे अन्य संबंधित क्षेत्रों में डिप्लोमा धारक एवं अनुभवी को भी वरीयता दी जा सकेगी।

प्रबंधक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कर्तव्य निम्नानुसार होंगे:–

1. संचालक मण्डल के निर्देशानुसार आमसभा, संचालक मण्डल की बैठक बुलाना उनमें उपस्थित सदस्य तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाही अलग संबंधित कार्यवाही पुस्तिका में अंकित करना।
2. संचालक मण्डल के निर्देशों के अनुरूप संस्था के व्दारा अधिकृत संचालक एवं प्रबंधक के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि आहरण करना संस्था की राशि वसूल करना बैंक में जमा करना व आवश्यक खर्च करना।
3. संस्था से संबंधित सभी पत्र व्यवहार प्राप्त करना एवं विशिष्ट विषयों पर संचालक मण्डल का ध्यान आकृष्ट करना।
4. संस्था के लिये सभी रसीदें प्रमाणक व वार्षिक प्रतिवेदन स्थिति विवरण पत्रक तैयार करना एवं समयावधि में सहकारिता विभाग बैंक को आवश्यक जानकारी एवं लेखा उपलब्ध कराना।
5. संस्था के सामान्य प्रशासन संबंधी सभी पत्र व्यवहार करना सदस्यों को सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना एवं विशिष्ट मामलों पर अध्यक्ष/संचालक मण्डल की अनुमति से पत्र व्यवहार करना।
6. अंकेक्षण प्रतिवेदन बिना विलंब संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना प्रतिवेदन में दर्शित आपत्तियों का त्वरित निराकरण करना एवं संचालक मण्डल से अनुमोदित कराकर एक माह में उसे अंकेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना।
7. संस्था के अन्य कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना। उनके कार्यो पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखना। संचालक मण्डल को उनके कार्यो की जानकारी देना एवं संचालक मण्डल की सहमति से उनके कर्त्तव्य निर्धारित करना।
8. संस्था की रोकड़ पुस्तक एवं अन्य वैधानिक एवं व्यवसायिक दस्तावेजों का संधारण करना।
9. प्रबंधन एवं व्यवसाय संबंधी समस्त अनुपातिक निर्धारित समय में पूर्ण करना।
10. संचालक मण्डल के समक्ष मासिक आय–व्यय पत्रक खरीदी बिक्री पत्रक लेखा आदि का अनुमोदन प्रस्तुत करना।
11. रोकड़ अधिक्य को बैंक में जमा करवाना सुनिश्चित करना।
12. संस्था के उप विधियों के अनुसार व्यवसाय वृद्धि हेतु आवश्यक कदम उठाना।
13. यह देखना कि संस्था की राशि नियमित वसूली ली जाती है और यदि संभव न हो तो संचालक मण्डल की सहमति से वैधानिक कार्यवाही हेतु आवश्यक कागज़ात तैयार करना।
14. संचालक मण्डल द्वारा निर्देशित अन्य सभी कार्य करना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी संचालक मण्डल के नियंत्रण, निर्देशन एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगा।
15. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, एन.पी.एम.ए, सी.वी.वी.ओ कियान्वयन एजेंसी से लिये गये अनुबंध, वित्तीय सहायता एवं डी.पी.आर., प्रशिक्षण, व्यवसाय विकास, विपणन का कार्य करना।

(41.2) लेखापाल– लेखापाल के पास अनिवार्य विषय के रूप में गणित अथवा वाणिज्य के साथ वैकल्पिक अथवा अकाउंटेंसी पृष्टभूमि सहित 10+2 की शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। अगर संस्था का कोई भी सदस्य उपरोक्त मानदण्डों को पूरा करता है, तो उस पर विचार किया जा सकता है।

उपविधि क्रमांक–(42) मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रबंधक की अनुपस्थिति में दायित्व का निर्वहन :

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रबंधक की अनुपस्थिति में संचालक मण्डल किसी अन्य व्यक्ति को प्रबंधक के कार्य हेतु अधिकृत कर सकती है। यदि संचालक मण्डल द्वारा ऐसे अधिकारी नहीं दिये गये हैं, तो दूसरा व्यक्ति संस्था का वरिष्ठतम कर्मचारी होगा तथा प्रबंधक के कार्य हेतु उत्तरदायी होगा।

उपविधि क्रमांक–(43) लाभ–हानि का विभाजनः

वार्षिक आमसभा में गत वर्ष के कुल सकल लाभ की घोषणा की जायेगी, और निम्नानुसार समायोजन किये जायेगें।

(क)

1. ऋण एवं निक्षेपों पर देय ब्याज।
2. हानियाँ।
3. भवन एवं अन्य सम्पत्ति पर ह्रास।
4. संचालक मण्डल, पंजीयक या उत्पादक समिति द्वारा निर्देशित मूल्य घट–बढ़ निधि लाभ, अंशविमोचन निधि, व्यक्तिगत निधि, भवन निधि या अन्य कोई भी विशिष्ट निधि।
5. संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत उत्पादक समिति पंजीयक द्वारा अनुमोदित डूबन्त ऋण/एन.पी.ए.।
6. यदि कोई हो, कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी ग्रेच्युटी फण्ड में योगदान।

(ख) इस प्रकार समायोजन के पश्चात् शेष को शुद्ध लाभ माना जायेगा। लाभ निम्न अनुसार वितरित किया जावेगा।

1. कम से कम 25 प्रतिशत रक्षित निधि में ले जाया जायेगा।
2. प्रदत्त अंश पूंजी पर 10% एवं पंजीयक की अनुमति से 25% तक लाभांश अंशधारियों को दिया जा सकेगा।
3. सहकारी अधिनियम की धारा–43 के अनुसार सहकारी संघ को शिक्षा निधि हेतु चंदे का प्रावधान करने के बाद ही संस्था द्वारा लाभांश का भुगतान किया जा सकेगा।
4. सहकारी अधिनियम की धारा–43 में वर्णित अन्य सभी निधियों का निर्माण करना।

(ग) उपर्युक्त सहकारी अधिनियम की धारा 43 में वर्णित अन्य सभी निधियों का निर्माण करना तथा लाभ विभाजन के बाद शेष राशि का वितरण निम्नानुसार किया जावेगा–

1. (अ) 65 प्रतिशत संस्था को प्रदाय किये गये मात्रा एवं सेवाओं की भागीदारी के अनुपात से संचालक मण्डल के सुझावों के अनुसार सदस्यों को बोनस के रूप में दिया जावेगा।

(ब) बोनस की रकम की गणना सदस्यों द्वारा प्रदाय किये गये कुल मात्रा, के आधार पर की जावेगी तथा उक्त गणना के अनुसार सदस्यों को उनके द्वारा प्रदाय किये गये मात्रा के अनुपात में वितरित की जायेगी। शेष राशि यदि कोई हो, तो सदस्य बोनस निधि में अथवा संघ के निर्देशानुसार अन्य निधि में ले जा सकेगा। बोनस राशि एवं अन्य कार्यक्रमों में व्यय हेतु निधियों का निर्माण पंजीयक से अनुमोदन उपरांत लागू किया जाएगा।

2. कृषि विकास निधि, धर्मादा निधि अन्य निधि और लाभ विभाजन के पश्चात् शेष राशि हो तो उसका उपयोग गॉव के कृषि एवं विकास तथा सदस्यों के आर्थिक सामाजिक विकास कार्य में व्यय किया जा सकेगा।
3. बोनस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कर्मचारियों को बोनस देने में प्रयुक्त होगा, कर्मचारियों को बोनस अधिनियम संचालक मण्डल के निश्चय अनुसार दिया जायेगा परन्तु यह किसी भी दशा में दो माह के वेतन से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार बोनस देने के बाद शेष राशि अगले वर्ष के लिये ले जाई जायेगी।,
4. इसके पश्चात् शेष राशि रक्षित निधि में ले जाई जायेगी। यदि उपयुक्त निधि में लाभ वितरण में कोई परिवर्तन आवश्यक समझा जाये, तो यह केवल एक वर्ष के लिये साधारण सभा की स्वीकृति एवं पंजीयक के अनुमोदन के पश्चात् किया जा सकेगा।

(स) **संरक्षण बोनस** – ऐसी सेवाएं या उत्पादन जो कृषक सदस्यों द्वारा अपनी संस्था को प्रदान की गई हो तथा उनके योगदान के कारण संस्था के व्यवसाय, सेवाओं का विस्तार हुआ हो उन्हें उपरोक्त प्रावधानों के साथ ऐसे अनुपात जैसा कि संचालक मण्डल के निर्णय उपरान्त आमसभा में धारित किए जाए, आधिक्य आय से सेवाओं के अनुपातिक रूप में भुगतान किया जाएगा।

उपविधि क्रमांक–(44) अभिलेखों का निष्पादनः

1. अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल का एक या अधिक सदस्य और प्रबंधक जैसा कि संचालक मण्डल अधिकृत करे को संयुक्त रूप से संचालक मण्डल की ओर से अभिलेख निष्पादन रसीद अंश प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने बैंक से व्यवहार करने का अधिकारी होगा। जबकि कृषक उत्पादक सहकारी संस्था द्वारा दी जाने वाली रसीदें संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जावेगी। संस्था के लेखें (रिकार्ड) कम्प्यूटरीकृत भी रखे जाएगें।
2. रसीदों को छोड़कर कृषक उत्पादक सहकारी संस्था की ओर से निष्पादित सारे भार–पत्रों (चार्जिस) या अन्य लिखितों पर संस्था के प्रतिनिधि के रूप में अध्यक्ष, प्रबंधक और संचालक मंडल के एक अन्य सदस्य के हस्ताक्षर रहेगें। संचालक मण्डल के अधिकार प्राप्त कर प्रबंधक रसीदों पर हस्ताक्षर करेगें।

उपविधि क्रमांक–(45) सदस्य द्वारा पंजी/लेखा का निरीक्षणः

संस्था का कोई भी सदस्य अधिनियम की धारा–28 के अनुसार कार्यालयीन समय में अपने व्यवसाय से संबंधित कोई भी पंजी या लेख का निरीक्षण कर सकेगा। इस हेतु संचालक मण्डल कार्यालयीन समय निर्धारित करेगी।

उपविधि क्रमांक–(46) वित्तीय पत्रकों का निर्माण:

प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल के पूर्व संचालक मण्डल के द्वारा आय एवं व्यय सम्पत्ति एवं दायित्व स्थिति विवरण पत्रक गत वर्ष का प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा। इस पत्रकों की एक प्रति पंजीयक को 31 मई के पूर्व दी जावेगी तथा अतिरिक्त प्रति अधिकृत अंकेक्षक को भी दी जाएगी।

प्रत्येक संस्था के अपने प्रत्येक व्यवसाय हेतु पृथक–पृथक व्यापारिक खाते बनाने होगें। संस्था अपने यहाँ आंतरिक व्यवस्था लागू करेगी इसे चार्टर्ड एकाउन्ट या अन्य वित्तीय विशेषज्ञ के द्वारा समय–समय पर किया जाएगा।

वार्षिक अंकेक्षण हेतु जैसा आमसभा निर्धारित करें, सहकारी अधिनियम के प्रावधान अनुसार सहकारिता विभाग या चार्टर्ड एकाउन्ट के निर्धारित पैनल से अंकेक्षण कराया जा सकेगा।

उपविधि क्रमांक–(47) उपविधि में संशोधन :

अधिनियम एवं नियम के अनुसार उपनियमों में संशोधन किया जा सकेगा, बशर्ते कि ऐसे संशोधन के लिए बैठक की सूचना समस्त सदस्यों को कम से कम 14 दिन पूर्व दी गई हो। संशोधन पंजीयक द्वारा पंजीकृत हो जाने के बाद ही प्रभाव में आएगा।

उपविधि क्रमांक–(48) अपील :

संस्था के संचालक मंडल/अध्यक्ष उपाध्यक्ष द्वारा पारित/जारी किसी आदेश/निर्णय के विरूद्ध अपील, संचालक मण्डल के समक्ष हो सकेगी। संबंधित द्वारा आदेश/सूचना प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के अन्दर पंजीयक के समक्ष पूर्ण विवरण/प्रभावों के साथ अपील की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक–(49) शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं से ऋण लेना :

संचालक मण्डल जमा रकम के तरीके को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के ऋण शासकीय मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों से लेने के लिए सक्षम होगी।

उपविधि क्रमांक–(50) वित्त प्रदायी बैंक व अन्य संस्थाओं से सम्बंध :

1. संस्था जिला/राज्य सहकारी संघ की सदस्य होगी।
2. क्लस्टर आधारित व्यवसायिक संस्था की सदस्य होगी।
3. क्रियान्वयन एजेंसी/वित्तदायी बैंक की सदस्यता प्राप्त कर सकेगी।

उपविधि क्रमांक (51) हिसाब के तथा अन्य रजिस्टर :

हिसाब की पुस्तकें तथा अन्य रजिस्टर सहकारी सोसाइटी अधिनियम/नियम तथा सहकारी संस्थाओं के पंजीयक की निर्देशानुसार रखें जावेगें, इनके अतिरिक्त संस्था जो रजिस्टर तथा पत्रक रखना आवश्यक समझें वे भी रखें जावेगें।

सामान्यतः निम्नलिखित रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा :

1. रोकड़ बही 2. खाताबही 3. व्यक्तिगत–बही खाता 5. सदस्य–पंजी 6. निक्षेप पंजी 7. वार्षिक आमसभा व संचालक मण्डल की कार्यवाही पुस्तक 8. सदस्यता हेतु आवेदन पंजी 9. कच्चे माल की पंजी 10. तैयार माल की प्राप्ति पंजी 11. छूट दावा पंजी 12. सदस्यो के वैध उत्तराधिकारी के मनोनयन की पंजी 13. उत्पादन बिक्री पंजी 14. मजदूरी पंजी 15. निरीक्षण पंजी 16. आवक–जावक पंजी 17. समूह पंजी 18. अंशपूंजी 19. जी.एस.टी/विभिन्न कर व अन्य आवश्यक अभिलेख जो कारोबार के लिये आवश्यक है 19. सदस्यकार व्यवसाय हेतु सदस्य की भागीदारी तथा सदस्य द्वारा उत्पादन ली जाने वाली सेवाओं या पंजी।

परन्तु उपरोक्त अभिलेख, संस्था कम्प्यूटरीकृत रूप में भी रखेगी।

उपविधि क्रमांक–(52) संस्था की पद मुद्रा :

संस्था की एक पदीय मुद्रा होगी जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रबंधक के पास रहेगी और जिसका उपयोग संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत अधिकारी कर सकेगें।

उपविधि क्रमांक–(53) विवाद :

विवाद जो इन उपविधियों के अथवा संस्था के संबंध में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा–64 के अन्तर्गत् हो, निर्णय के लिये सहकारी संस्थाओं के पंजीयक को प्रस्तुत होगें जो उसके अन्तर्गत नियमों के अनुसार उसका निर्णय करेंगें। संचालक मण्डल व्दारा अधिकृत किये गये उपरोक्त पदाधिकारियों व्दारा संस्था की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने तथा मुकदमा एवं अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करने या बचाव करने का कार्य करेंगे।

उपविधि क्रमांक–(54) सूचना पत्र की तामीली :

सहकारिता अधिनियम की धारा 86 के अनुसार एवं ई–मेल, वाट्सअप द्वारा सूचना की तामिली की जाएगी।

उपविधि क्रमांक–(55) कर्मचारियों के नियम व सेवा शर्तें :

संस्था, कर्मचारियों की नियुक्ति सेवा, शर्तो प्रवास भत्ता, छुट्टी, निवृत्ति, वेतन या सामान्य भविष्य निधि इत्यादि तथा संचालक गण्डल के सदस्य को देय प्रवास भत्ते आदि के संबंध में नियम बनायेगी। जो संस्था की आमसभा से अनुमोदन तथा पंजीयक की स्वीकृति उपरांत ही लागू हो सकेगें।

उपविधि क्रमांक–(56) घाटे का दायित्व :

1. जहां किसी संस्था को किसी वर्ष में परिचालन घाटा होता है, वहां संचालक मण्डल उसके कारणों को आमसभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

2. आमसभा, जहां संस्था के कारोबार के सामान्य अनुक्रम में घाटा हुआ है वहां उसके कारणों का परीक्षण करेगा और आमसभा अपने परीक्षण के आधार पर परिचालन घाटे को उसके सदस्यों से और या आरक्षितियों से पूर्णतः या भागतः पूरा करने हेतु संकल्प कर सकेगा।

उपविधि क्रमांक–(57) अपराध एवं दण्ड :

1. यदि संचालक मण्डल अथवा पदाधिकारी एवं सदस्यों व्दारा कोई भी ऐसा कृत्य किया जाता है जो संस्था के हितों के विरूद्ध हो या संस्था व्दारा सौंपे गये किसी दायित्व का पालन करने में चूक की जाती है तो संस्था व्दारा उस पर उपविधि के प्रावधानों के तहत सदस्यता से निष्कासन, कार्यकारिणी की सदस्यता से निष्कासन एवं पदाधिकारी के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटाये जाने की कार्यवाही की जावेगी। उपरोक्त कार्यवाही किये जाने हेतु अधिनियम, उपविधि से संबंधित प्रावधानों का पालन किया जाकर तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावेगा। परन्तु पदाधिकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव अथवा हटाये जाने के संबंध में बैठक की अध्यक्षता पंजीयक व्दारा अधिकृत व्यक्ति व्दारा की जावेगी।
2. संस्था मे कार्यरत कर्मचारियों द्वारा किसी अपराधिक दुष्कृत्य/कदाचरण/अनुशासन हीनता/संस्थाहित के विरूद्ध कार्य करने पर सेवा नियम अनुसार जांच कराई जावेगी तथा दोषी पाये जाने पर सेवा से पृथक करना एवं हुई क्षति की पूर्ति की कार्यवाही की जावेगी।

उपविधि क्रमांक–(58) पंजीकृत पता व संस्था का नाम संप्रदर्शनः

संस्था अपने पंजीकृत कार्यालय जहाँ–जहाँ यह कारोबार करता है, वहाँ संस्था द्वारा जारी की गई समस्त सूचनाओं एवं अधिकारिक प्रकाशनों में, अपने समस्त कारोबारी पत्रों पर, माल के लिये प्रदेशों में लेखाओं के विवरण पर और समस्त कारोबारी पत्रों पर संस्था का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता और मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अधीन रजिस्ट्रीकृत अनिवार्य रूप से लिखेगी।

उपविधि क्रमांक–(59) अन्य इकाई स्थापना :

1. संस्था व्दारा अपने सदस्यों के हित के संवर्धन हेतु किसी अन्य संस्था जिसका क्लस्टर उपज क्षेत्र भिन्न हो/समान हो के साथ मिलकर संयुक्त इकाई या व्यवसायिक उपक्रम का निर्माण कर सकते हैं।
2. संस्था अपने सदस्यों के हित संवर्धन हेतु आवश्यक होने पर सहायक संस्था/कम्पनी या अन्य निकाय गठित कर सकेगी।
3. संस्था अपने सदस्यों के हित संवर्धन, व्यवसाय वृद्धि हेतु किसी अन्य संस्था/कम्पनी, निकाय के साथ संयुक्त उपक्रम/ईकाई स्थापित कर सकेगी।

संचालक मण्डल सदस्यों के नाम

1. ..... अध्यक्ष
2. ..... उपाध्यक्ष
3. ..... सदस्य
4. ..... सदस्य
5. ..... सदस्य
6. ..... सदस्य
7. ..... सदस्य
8. ..... सदस्य
9. ..... सदस्य
10. ..... सदस्य